



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या- 1986 -औ०सं०/2013-11(1) ए०एस०/2009

दिनांक 29 जून, 2013

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की दिनांक 31.03.2014 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1568-औ०सं०/2013-11(1)ए०एस०/2013 दिनांक 23.05.2013 में लम्बित 03 चिकित्सालयों द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने हेतु पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औ०सं० -17/पाकालि/02 दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औ०सं०-17/पाकालि/2012-11(1) ए०एस०/2009 दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1568-औ०सं०/2013-11(1)ए०एस०/2013 दिनांक 23.05.2013 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता दिनांक 31.05.2013 के उपरान्त अग्रेतर दिनांक 01.06.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक के लिये एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

जनपद/क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम	मान्यता की अवधि
लखनऊ 1.	आई क्यू विजन प्रा०लि०, लखनऊ। (एकल विशिष्टता नेत्र उपचार हेतु)	31.03.2014
2.	ओ०पी० चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर रायबरेली रोड़, लखनऊ।	31.03.2014
वाराणसी 3.	हेरिटेज हास्पिटल, लंका वाराणसी। (हृदय के क्रेडिट उपचार हेतु भी मान्य)	31.03.2014

- (1) उक्त चिकित्सालय को जिलो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि दिनांक 31.03.2014 से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- (2) कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि दिनांक 31.03.2014 से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

संख्या- 1986 -(1)-औ०सं०/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कार्पोरेट-प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यान्चल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/पश्चिमांचल-मेरठ/ दक्षिणांचल-आगरा एवं केस्को-कानुपर।

(...2...)

- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण/पारेषण) को इस अभुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।
- 8- समस्त उप-महाप्रबन्धक (औद्योगिक-सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा-स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 11- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
- 12- प्रबन्धक आई क्यू विजन प्रा0लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 13- प्रबन्धक, ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर रायबरेली रोड़, लखनऊ।
- 14- प्रबन्धक हेरिटेज हास्पिटल, लंका वाराणसी।
- 15- सचिव, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड़ लखनऊ।
- 16- कट फाइल।

Naf Mathur
29.6.13
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी